18.10.21	पत्रावली प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 कैम्प सांजू में रखी गई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 से 5 उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 की ओर से जवाब पेश किया, जो शा० कि० रहे। उपस्थित पक्षों को सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सांजू के ख० नं० 1094 रकबा 2.70 हैक्ट० भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 2 से 5 की पुश्तैनी उत्तराधिकार में प्राप्त खातेदारी शुदा भूमि स्थित है। प्रार्थी के पिता का नाम रामकिशन ही था परन्तु बोलचाल की भाषा कहलाता उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीकिशन दर्ज हो गया। रामकिशन व श्रीकिशन नाम के एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के समस्त मौके दस्तावेज में भी प्रार्थी के पिता का नाम रामकिशन दर्ज है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीकिशन दर्ज होने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जावे।	कुम्भाराम [illegible] [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
डेगाना, नागौर

2 से 5 की वल्दियत श्रीकिशन के स्थान पर रामकिशन दर्ज की जाकर रेकार्ड दुरुस्ती के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रा०पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं० 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम सांजू के खाता सं० 583 में दर्ज खातेदार क्रमांक 1 से 5 की वल्दियत श्रीकिशन के स्थान पर रामकिशन किये जाने की अनुशंषा की जाती है। अप्रार्थी सं० 2 से 5 ने भी उपस्थित होकर मौखिक सहमति प्रदान की है व तहसीलदार डेगाना के जवाब/रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान लगाये है। ग्राम पंचायत सांजू के भी लिखित में अनुशंषा प्रस्तुत की है।

उपस्थित पक्षो को सुना गया एवं मजमे आम में जानकारी प्राप्त की गई। प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 2 से 4 की वल्दियत (बड़के पति) श्रीकिशन दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका में प्रार्थी के पिता की वल्दियत ~~श्रीकिशन~~ रामकिशन दर्ज है। तहसीलदार डेगाना, ग्राम पंचायत सांजू के द्वारा वल्दियत श्रीकिशन के बजाय रामकिशन दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। मजमे आम में जानकारी करने पर श्रीकिशन व रामकिशन नाम के एक ही व्यक्ति होना ज्ञात हुआ है। अप्रार्थी सं० 2 से 5 ने भी अपनी सहमति प्रदान की है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार डेगाना के जवाब/रिपोर्ट, ग्राम पंचायत सांजू की अनुशंषा एवं मजमे आम में प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व [illegible]

रामनिवास / RDR

सं. वर्ष 113/202

	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामी
	सांजू के ख०नं० 1094 रकबा 2.70 हे० भूमि मे दर्ज प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 2 से 4 (व 5 के पति) के पिता का नाम श्रीकिशन के स्थान पर श्रीकिशन उर्फ रामकिशन दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। शेष खाता यथावत रखा/रहन का इन्द्राज पूर्ववत दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को कैम्प सांजू मे सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी डेगाना, नागौर	